सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{31 आषाढ़, 1941 (श०)}}{\text{22 जुलाई, 2019 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 62

(1)	गृह विभाग	..	..	41
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	08
(3)	गन्ना उद्योग विभाग	..	..	06
(4)	उद्योग विभाग	..	..	03
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	01
(6)	वित्त विभाग	..	..	02
(7)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	01
			कुल योग --	62

पर्यटक स्थल घोषित करना

'क'-*1008. मो० नवाज आलम--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला का आरा शहर शाहाबाद का पुराना शहर है, जहाँ वीर कुँवर सिंह पार्क अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आरा के स्वतंत्रता सेनानी रामकृत यादव, भोला महत्तर, कैलाश आदि हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन लोगों की आदमकद मूर्ति वीर कुँवर सिंह पार्क में लगाकर पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*1823. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिकंदरा विधान सभा अन्तर्गत सिकंदरा प्रखंड के लघुआड़ एवं खैरा प्रखंड के गढ़ी में थाना नहीं रहने के कारण आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में एक थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1824. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के करनेजी पंचायत के करनेजी ग्राम में नदी किनारे मध्य विद्यालय के निकट स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*1825. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड का पुरणछपरा तथा उसके आस पास का इलाका अपराध तथा माओवादी घटनाओं से प्रभावित क्षेत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह इलाका पूर्वी चंपारण तथा मुजफ्फरपुर जिला का बॉर्डर है, साथ ही अगल-बगल के थाना चकिया, कल्याणपुर, केसरिया से इस क्षेत्र की दूरी क्रमश: 15, 25 तथा 27 कि० मी० होने के कारण आपराधिक घटनाओं को रोकने में पुलिस ससमय सक्षम नहीं हो पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुरणछपरा में थाना स्थापित कर इस इलाके के लोगों का जान-माल सुरक्षित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'- दिनांक 12 जुलाई, 2019 के सदन द्वारा पर्यटन विभाग से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को स्थानान्तरित ।

घेराबंदी कराना

*1826. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड के रायपुर, बेगमपुर तथा मोहिउद्दीपुर ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से इसमें मवेशियों के प्रवेश एवं स्थानीय कारणों से लोग परेशान रहते है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1827. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत रामनगर बेदौल पंचायत के बेदौल गोट के वार्ड नं० 13 के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों भागों में कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण असमाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों भागों में कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करना

*1828. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार में मुंगेरी लाल बैकवार्ड समिति का गठन वर्ष 1975 में किया गया था तथा उक्त समिति के सर्वे के आधार पर 1976 में चनऊ जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि चनऊ जाति आर्थिक रूप से काफी कमजोर है एवं राज्य के सरकारी नौकरियों में इस जाति का प्रतिनिधत्व नगण्य है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चनऊ जाति को अति पिछड़ा वर्ग में कबतक शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1829. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के सरारी गाँव एवं पटोरी प्रखंड के शिउरा गाँव स्थित शाह जकड़ियाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण तथा कानून एवं विधि व्यवस्था की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1830. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी थाना परिसर में सर्किल इन्सपेक्टर का कार्यालय भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण प्रशासनिक एवं विधि व्ययवस्था के कार्यों का निष्पादन करने में काफी कठिनाई हो रही है

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1831. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में दिनांक 21 मार्च, 2018 को उपकरण एवं उपस्कर खरीदने के लिये (5 करोड़ 61 लाख रुपये) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के लिये दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि कोषागार, हाजीपुर से उक्त राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाजीपुर को नहीं भेजकर आई० डी० बी० आई० बैंक, हाजीपुर को भेज दिया गया जिसके कारण उक्त उपकरण एवं उपस्कर का पैसा लैप्स हो गया;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नामांकरण परिवर्तन करना

*1832. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान देय है तथा उनका पदनाम भी केन्द्र सरकार के समतुल्य है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्रांक 21-12-2010-CSI (P), दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के आलोक में सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का नामाकरण क्रमशः सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) वरीय सचिवालय सहायक (SSA) एवं कनीय सचिवालय सहायक (JSA) किया गया है किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड ने दो वर्ष पूर्व ही इसे अपने राज्य में लागू कर दिया है तथा इसे लागू करने पर सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में कार्यरत सहायकों का नामाकरण परिवर्तन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

पदस्थापना करना

*1833. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल मुख्यालय में कार्यपालक दंडाधिकारी का पद दो वर्षों से रिक्त पड़ा है जिससे लोगों के कार्यों का निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रिक्त पद पर नये पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिजनों को सौंपना

*1834. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना शहर के कंकड़बाग के C/C-56 पी० सी० कॉलोनी से आर्दश कुमार उम्र 15 अपने पिता के स्कारपियो गाड़ी BR01PJ-2028 के साथ 31 जुलाई 2018 के भोर से ही लापता हैं जो कंकड़बाग थाना कांड संख्या 680/18, दिनांक 21 अगस्त, 2018 एवं 809/18, दिनांक 4 सितम्बर, 2018 दर्ज है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना में लापाता आर्दश कुमार के परिजनों द्वारा लगातार थाना से लेकर पुलिस महानिदेशक तक गुहार लगाने के बावजूद अभीतक लापता आदर्श कुमार का खोज संभव नहीं हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लापता आदर्श कुमार की खोजकर उनके परिजनों को सौंपना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1835. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड के घोषौत गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशु कब्रिस्तान में घुमते रहते हैं जिसके कारण परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1836. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बलीगाँव पंचायत के मसर्ही टोला में कब्रिस्तान अवस्थित है, उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1837. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास विधान सभा क्षेत्र के मधेपुर एवं फुलपरास थानों में चहारदीवारी का निर्माण नहीं हो सका है जिसके कारण थाना परिसर असुरक्षित रहता है तथा आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है जिसके कारण पदस्थापित पुलिसकर्मियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित थानों के चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1838. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के पताही पंचायत के पताही कब्रिस्तान एवं चकवा पंचायत के बड़वा टोला में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त कब्रिस्तानों की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1839. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत घैलाढ़ प्रखंड के बरदाहा पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०-1 के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दायित्व सौंपना

*1840. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले में तीन गन्ना विकास पदाधिकारी के पद होने के बावजूद एक ही पदाधिकारी पदस्थापित है, जबकि दो गन्ना विकास पदाधिकारी का पद दो वर्षों से रिक्त है तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण एवं गोपालगंज जिला के प्रभार में हैं, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस ईख विकास पदाधिकारी को एक साथ दो जिला का प्रभार का दायित्व सौंपने का क्या औचित्य है ?

सरकारी लाभ देना

*1841. श्री सुबेदार दास--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मकदुमपुर में दिनांक 26 नवम्बर, 1989 को लोक सभा चुनाव के दौरान उग्रवादियों द्वारा चार लोगों की हत्या कर दी गयी थी जिसमें स्व० रामचरित्र यादव, पिता-मंगरू यादव, ग्राम-कोयरी बिगहा, पोस्ट-आलमगंज, जिला-जहानाबाद के आश्रित को अभीतक किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित मृतक के आश्रितों को सरकारी लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1842. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोधगया एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है जिसकी सुरक्षा हेतु नई ट्रैफिक रूट प्लान लागू किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बोधगया ट्रैफिक थाना के दो मुहान मोड़ के पास वाहन जाँच के नाम पर अधिकारियों के द्वारा आमजन को परेशान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोधगया ट्रैफिक थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों पर जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० में बदलना

*1843. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के मोहम्मदपुर में आमजन के सुरक्षा हेतु पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है तथा इसके कार्य क्षेत्र के अधीन कुल 18 पंचायत की 167000 आबादी आते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्य क्षेत्र बड़े एवं संवेदनशील होने के कारण पुलिस पिकेट नागरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिये सक्षम नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पुलिस पिकेट को ओ० पी० में बदलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1844. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अन्तर्गत मथुरा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, जिसके कारण बाहरी लोगों द्वारा जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1845. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के पंचायत खराटी में बरिया टोला रहमान बिगहा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार डोभी प्रखंड के उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1846. श्री अनिल कुमार यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक 4 करोड़ एवं 2016 से मार्च 2019 तक 12 करोड़ रुपये खर्च की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समय के अध्यक्ष द्वारा गोपनीयता के नाम पर कलम एवं बक्सा की खरदारी में करोड़ों रुपये की वित्तीय नियमों की अनदेखी किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनियमितता करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*1847. श्री समीर कुमार महासेट--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लोहट चीनी मिल को लीज पर दिये जाने हेतु दिसम्बर, 2018 तक तीन बार टेंडर हो चुका है परन्तु किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया, यदि हाँ, तो सरकार लोहट चीनी मिल को चालू कराने हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लागू करना

*1848. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर० के० सबरवाल बनाम पंजाब राज्य में दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, भारत सरकार का पत्रांक 43011/4/2018-स्था० (आरक्षण), दिनांक 4 अप्रील, 2018 द्वारा निर्गत किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पत्र अभीतक बिहार सरकार में लागू नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक डायरेक्टर ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र को बिहार राज्य में लागू करने का विचार रखती है ?

ऋण उपलब्ध कराना

*1849. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को के० सी० सी० कृषि ऋण देने में आना-कानी कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों को कृषि कार्य करने हेतु के० सी० सी० ऋण नहीं मिल रहा है जिससे किसान परेशान हैं तथा कृषि कार्य में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को पंचायत में कैंप लगाकर के० सी० सी० ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1850. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के महिमागोपीनाथपुर पंचायत के ग्राम-पानाछपड़ा, देवी स्थान के निकट पानाछपड़ा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० खोलना

*1851. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत बलुआहा घाट पर बने उच्चस्तरीय पुल तथा उसके पहुँचपथ गंडोल तक में असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बलुआहा पुल के पश्चिमी किनारे पर दिनांक 5 जून, 2019 को एक युवक को असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दिया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बलुआहा पुल के पश्चिम किनारे पर एक ओ० पी० खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1852. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बड़ौरा पंचायत के ग्राम-छक्कन टोला (सुअरी) में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उचित मूल्य पर क्रय करना

*1853. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड के बिजुलपुर पंचायत अन्तर्गत विष्णुपुरवा गाँव में ट्रांसफॉर्मर का तार कुमार इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाता है, जिसके उत्पादित उत्पादन की बिक्री हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत विभाग के लिये क्रय करने का प्रावधान है, परंतु अभीतक कुमार इन्डस्ट्रीज से कोई खरीदारी नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस उद्योग से उत्पादित सामग्री को उचित मूल्य पर क्रय करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा एवं पेंशन राशि देना

*1854. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज थाना अन्तर्गत ग्राम-अँकुरी के शिवनारायण रजवार की हत्या हो गयी थी जिनका थाना कांड संख्या 29/16, दिनांक 15 फरवरी, 2016 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के क्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) के अन्य उप-कंडिकाओं के अधीन कांड दर्ज नहीं किये जाने के कारण अधिनियम के अधीन उपबंध I नियम 12(4) की अनुसूची के कंडिका 20 के (ख) अंतर्गत राहत एवं अन्य देय सुविधा नहीं मिल पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना कांड में मृतक के विधवा को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अनुरूप देय मुआवजा राशि एवं पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० स्थापना कराना

*1855. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के थाना गोरेयाकोठी में 22 पंचायत हैं एवं इनमें 11 पंचायत की दूरी थाना से 15 किलो मीटर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना के काफी दूर होने के कारण अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, जबकि छितौली बाजार इन पंचायत के बीच में है, साथ ही एन० एच० 73 से सटे हुये हैं ;

(3) यदि खण्ड (1) एवं (2) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छितौली बाजार में ओ० पी० स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बचाव करना

*1856. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हलहलिया पंचायत में चल रहे अल समीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ-ही-साथ अन्य दो पशु वधशाला खुलने से इस क्षेत्र के कई किलो मीटर तक हजारों की संख्या में बसने वाले कई गाँव के लोगों को इन दिनों वधशाला से निकली दुर्गंध एवं प्रदूषित जल होने के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर लोग घर-परिवार, खेती-गृहस्थी छोड़ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु वधशालाओं को कबतक बंद करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

*1857. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर, कोटवा, केसरिया, संग्रामपुर, चकिया प्रखंड सहित अन्य प्रखंड क्षेत्र के हजारों किसानों के करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान सिंधौलिया, गोपालगंज तथा सासामुसा सुगर फैक्ट्री में पेराई सत्र 2018-19 में किसानों के गन्ना का बकाया है, जिसके कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर किसानों के पैसे का भुगतान कर देने का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गन्ना किसानों के सूद सहित बकाये का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है ?

आवास का निर्माण

*1858. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हरपुर थाना का अपना भवन एवं आवास नहीं रहने के कारण स्वास्थ्य विभाग के भवन से संचालित होता है, जिससे थानाकर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना का भवन एवं थानाकर्मियों के लिये आवास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैठक का आयोजन कराना

*1859. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिस संवर्ग में पदस्थापित अनुसचिवीय कर्मचारियों के वित्तीय उन्नयन एवं प्रोन्नति से संबंधित बैठक प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद एक भी बैठक का आयोजन विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त कर्मचारियों का वित्तीय उन्नयन एवं प्रोन्नति वर्ष 2016 से लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बैठक का आयोजन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1860. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड के रैनी ग्राम तथा वारिसनगर प्रखंड के बल्लीपुर ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से इसमें मवेशियों के प्रवेश के साथ अन्य कारणों से लोग परेशान रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति पत्र देना

*1861. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों नियुक्ति नियमावली, 2014 के आलोक में नियमावली की अनुसूची-1 में शामिल खेल विद्याओं के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार के समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विज्ञापन के द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2015 तक आवेदन प्राप्त किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपेण नहीं किया गया है तथा अनुसूची-1 में वर्णित 'बॉल बैडमिंटन' एवं 'लॉन वाल' खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आवेदन-पत्रों की जाँच होने के बाद भी नियुक्ति नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में वर्णित खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1862. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत डरहार ओ० पी० एवं जलई ओ० पी० में भवन नहीं रहने के कारण पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी को कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों ओ० पी० (थाना) में भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि खर्च करना

*1863. श्री भाई विरेन्द्र--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य योजना अन्तर्गत कृषि रोडमैप में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत 22 करोड़ 34 लाख 27 हजार एवं 26 करोड़ 21 लाख 6 हजार रुपये व्यय करने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया था, उक्त वर्णित दोनों वित्तीय वर्ष में योजना के लिये प्रावधानित राशि का मात्र क्रमशः 35 एवं 32 प्रतिशत राशि ही खर्च किये जाने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल 2234.27 लाख रु० के विरुद्ध कुल 1344.51 लाख रु० व्यय हुआ, जो प्रावधानित राशि का 60.17 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल 2621.06 लाख रु० के विरुद्ध कुल 868.76 लाख रु० व्यय हुआ, जो प्रावधानित राशि का 33.14 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के मार्च, 2019 में लोक सभा चुनाव के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण व्यय प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है।

बेरोजगारी कम करना

*1864. श्री ललन पासवान--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 जून, 2019 को प्रकाशित ''उद्यमी बनने को एस० सी०-एस० टी० युवा नहीं आ रहें हैं आगे'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा एस० सी० एवं एस० टी० के युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिला के बेरोजगारों को उद्यमी बनाने का निर्णय वर्ष 2017-18 में लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मात्र 407 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनु० जाति के 339 एवं जन जाति के 68 युवा ही शामिल हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के खगड़िया, रोहतास सहित बारह जिलों में कम अनुपात में ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर समय सीमा के अन्दर बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध कराकर बेरोजगारी कम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरोप-पत्र समर्पित करना

*1865. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर थाना कांड संख्या 632/15 (महिन्दनारा ओ० पी०) का कांड अनुसंधान पुलिस प्रशासन द्वारा अभीतक आरोप-पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण सूचक को बीमा की राशि नहीं प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कांड का आरोप-पत्र समर्पित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का अधिग्रहण करना

*1866. श्री शम्भु नाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में चक्की प्रखण्ड में चक्की ओ० पी० भरियार प्राईवेट मकान में स्थापित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चक्की ओ० पी० के लिये जमीन का अधिग्रहण कर थाना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1867. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास चेनारी प्रखंड के बनौली, बरतानी एवं शिव सागर प्रखण्ड के पखनारी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1868. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में ग्राम बलहा एवं बतरदेह स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं, होने के कारण आवारा जानवरों के द्वारा अक्सर कब्रों के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1869. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकिहाट प्रखंड के चोकता पंचायत के मजेला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1870. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबीसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत के विश्वकर्मा मंदिर के सामने श्मशान घाट की चहारदीवारी अगस्त, 2017 के बाढ़ में टूट जाने के कारण चारागाह बना रहता है, एवं शव-दाह के समय परेशानियाँ होती हैं, साथ ही अगल-बगल के लोग श्मशान घाट की जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त श्मशान घाट की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1871. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड सोनो के ग्राम-बोथा एवं पैरा मटियाना में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी पाँच वर्ष पूर्व अधूरा कार्य कर छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की पूर्ण घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1872. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी शहर स्थित वार्ड नं० 4 के मुरगिया चक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शीघ्र गिरफ्तारी करना

*1873. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के बेगाही में करूणाकर चौधरी की असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2019 को हत्या कर दी गयी है, जिसका पिपारी थाना में कांड संख्या 15/19 है लेकिन आजतक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार स्व0 चौधरी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है ?

भुगतान कराना

*1874. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत सभी चीनी मिलों के गन्ना का भुगतान वर्ष 2018-19 को दिनांक 10 फरवरी तक कर दिया गया है, लेकिन दिनांक 10 फरवरी, 2019 से अबतक का किसानों के गन्ना का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को भूखमरी की हालत है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त किसानों के गन्ना का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी बनवाना

*1875. डॉ0 राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के नारायणपुर पुल के आस-पास पुलिस चौकी नहीं होने के कारण विगत 3 वर्षों से आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार नारायणपुर के पास पुलिस चौकी बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान कराना

*1876. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियम अधिनियम, 1981 की धारा 43(2) एवं 43(3) के तहत किसानों से क्रय की गई गन्ना का भुगतान 14 दिनों के अंदर चीनी मिलों द्वारा किये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में हसनपुर चीनी मिल 3756.50 लाख रु0 एवं प्रतापपुर चीनी मिल 1072.46 लाख रु0 का किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त चीनी मिलों पर किसानों के बकाया राशि का भुगतान सरकार कबतक कराने का विचार रखती है ?

घेराबन्दी कराना

*1877. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत बरही ग्राम में कब्रिस्तान है, जिसका खाता संख्या 306, खेसरा 31 है एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के आरई, विरदीपुर कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 203, खेसरा 286 है, की घेराबन्दी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायता राशि देना

*1878. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बड़हरा थाना के ग्राम-कोल्हरामपुर निवासी राकेश कुमार, पिता-स्व0 पटेल यादव जो नेवी में कार्यरत थे, दिनांक 10 जून, 2016 में आई0 एन0 एस0 विक्रमादित्य जहाज में जहरीली गैस लीक होने से गोवा के करवार में मृत्यु हो गयी थी लेकिन आजतक उक्त शहीद परिवारों को राज्य सरकार से सहायता राशि नहीं मिली है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहीद परिवार को सहायता राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1879. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कर्मकार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पूर्ण रूप से लाभार्थी को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा में वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के बीच पदस्थापित उप-श्रमायुक्त-सह-कर्मकार प्रतिकार आयुक्त द्वारा क्रमशः वाद सं0 डब्लू0 सी0 डी0 02/2014, 04/2015, 01/2015, 02/2015, 04/2015 एवं सैकड़ों अन्य मामलों में एक ही तिथि में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि को बियरर एवं अकाउंट पेयी चेक द्वारा दो भागों में बाँटकर भुगतान किया गया जो अनियमितता का द्योतक है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वित्तीय वर्ष में पदस्थापित उप-श्रमायुक्त-सह-कर्मकार प्रतिकार आयुक्त द्वारा की गई अनियमितता की जाँचकर दोषी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1880. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के साईन पंचायत के पटेढ़ी, भाईखान ग्राम में पावर सब-स्टेशन के निकट स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*1881. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बड़हरा, आरा एवं कोइलवर आदि प्रखंडों सहित पूरे जिला में आर0 टी0 पी0 एस0 कर्मचारी विगत 7 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रखंडों सहित पूरे जिला के आर0 टी0 पी0 एस0 कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय खोलना

*1882. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों मे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये आवासीय उच्च विद्यालय खोलने का निर्णय सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मधेपुरा जिला में भूमि अधिग्रहण कर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिये आवसीय उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह का पुनर्निर्माण

*1883. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय में अतिथि गृह है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिथि गृह 10 वर्षो से जर्जर होने के कारण खंडहर में परिवर्तित हो गया है, साथ ही विगत 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिथि गृह का पुनर्निर्माण कर चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 22 जुलाई, 2019 (ई०)।

बि०स०मु० - 47 (एल० ए०), 2019-20 डी०टी०पी० -550